

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी।

मु0फौ0वाद सं0-2621/19

सी0एन0आर0नं0-यू0पी0 एल0पी0-040266192019

सरकार

बनाम

शुभम् शुक्ला

अ0सं0-426/19

धारा-3/25 आयुध अधिनियम

थाना-मैगलगंज

जिला खीरी।

सत्र सुर्पुदगी आदेश

अभियुक्त शुभम् शुक्ला के विरुद्ध थाना- मैगलगंज जिला खीरी की पुलिस ने धारा-3/25 आयुध अधिनियम के अपराध के परीक्षण हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है।

अभियुक्त जेर हिरासत उपस्थित आया।

अभियुक्त को अभियोजन प्रलेखों की प्रतियां धारा- 207 दं0प्र0सं0 के अनुसार प्रदान की जा चुकी है।

यह पत्रावली फौज वाद संख्या 4774/19 मु0अ0सं 416/19 धारा 452,354,511,302,307,506 ,भा0दं0सं0 राज्य प्रति श्रवण आदि से सम्बन्धित है जो आज दिनांक 20-2-2020 को सत्र सुर्पुद की जा चुकी है। अतः अभियुक्त का प्रस्तुत मुकदमा भी विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय को सुर्पुद किया जाता है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः वह दौरान विचारण एवं विचारण की समाप्ति तक सत्र न्यायालय के अन्यथा आदेशपर्यन्त न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0), खीरी को इस सम्बंध में सूचना भेजी जावे। पत्रावली मय समस्त अभिलेख कलेण्डर एवं वाद सम्पत्ति यदि कोई हो, के सहित अन्दर सप्ताह भेजी जावे।

अभियुक्त को जेल से तलव कर नियत दिनांक-04-3-2020 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे।

(विकास श्रीवास्तव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

लखीमपुर-खीरी।

20-2-2020

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी।

मु0फौ0वाद सं0-2621 / 19

सी0एन0आर0नं0-यू0पी0 एल0पी0-040266192019

सरकार

बनाम

शुभम् शुक्ला

अ0सं0-426 / 19

धारा-3 / 25 आयुध अधिनियम

थाना-मैगलगंज

जिला खीरी।

सेवा में,

माननीय सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर-खीरी।

महोदय,

निवेदन है कि मैंने आज दिनांक 20-2-2020 को उपरोक्त मुकदमा माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया है।

अभियोजन के लिए 6 साक्षी हैं और इस न्यायालय में उनकी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दिन की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि मैंने अभियुक्त को सूचित कर दिया है कि वह दिनांक 04-3-2020 को सत्र न्यायालय में उपस्थित हो।

भवदीय,

(विकास श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर-खीरी।

दिनांक-20-2-2020

नाम पता अभियुक्त / अभियुक्तगण जेल में

1-शुभम् शुक्ला पुत्र श्रवण शुक्ला निवासी अलियापुर, मैगलगंज जिला खीरी।

